राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 260 / 2025

मनोज कुमार त्रिवेदी —**अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए अतिरिक्त प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, पाली जिला पाली।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति पाली जिला पाली।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 24.01.2025
आदेश की दिनांक : 28.01.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री महावीर सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी का आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 23.01.2025 (अनुलग्नलक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी जो पंचायत समिति पाली जिला परिषद् पाली से जिला परिषद् पाली किया है।
3. अपीलार्थी का मुख्य तर्क रहा है कि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में केवल 5 माह शेष है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण किया जाना उचित नहीं है।

4. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एंव स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।
5. बहस के दौरान जब अपीलार्थी के अधिवक्ता से पुछा गया कि अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान स्थान से कितनी दूरी पर किया गया है। इस पर अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन हे कि अपीलार्थी का नवीन पदस्थापन कार्यालय के सडक के दूसरी तरफ सामने है।
6. हम पाते है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण किया जाना कोई असुविधा नहीं है।
7. अपीलार्थी के स्थानांतरण में सेवानिवृत्ति के समय तैयार किए जाने वाले दस्तावेज बनाए जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। चुंकि अपीलार्थी का स्थान परिवर्तन नहीं किया गया। अपीलार्थी का स्थानांतरण को असुविधा होना नहीं प्रकट होता है।
8. इस संबंध में हमारा मत है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण में किसी प्रकार की दुर्भावना रही हो। यह नियोक्ता पर निर्भर करता है कि किसी कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेना चाहता है। ऐसे प्रशासनिक आदेश में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।
9. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील, मय स्थागन प्रर्थाना–पत्र पर खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)